

न्यायालय अतिरिक्त जिला कलक्टर, झुंझुनू

पीठासीन अधिकारी :- राम रतन सौंकरिया, आर.ए.एस.  
निगरानी संख्या :- 22/2023

धर्मपाल आयु 45 वर्ष पुत्र स्व. रामेश्वर, जाति मेघवाल निवासी हमीरी खुर्द, तहसील मलसीसर, जिला झुंझुनू।  
- निगरानीकार

-बनाम-

1. अभिषेक जानू पुत्र शिवकरण जानू जाति जाट निवासी हमीरी खुर्द तहसील मलसीसर, जिला झुंझुनू।
2. पदेन सचिव/ग्राम विकास अधिकारी, ग्राम पंचायत हमीरी कलां, तहसील मलसीसर, जिला झुंझुनू।
3. सरपंच, ग्राम पंचायत हमीरी कलां, तहसील मलसीसर जिला झुंझुनू।  
- गैर निगरानीकार

निगरानी अंतर्गत धारा 97 राजपंचायती राज अधिनियम 1994,  
विरुद्ध संकल्प संख्या 2 दिनांक 23.05.2023 अनुपालना में आदेश दिनांक  
05.06.2023 आवासीय भूमि का पट्टा प्रशासन गांव के संघ अभियान 2023  
बहक अभिषेक जानू पट्टा संख्या 95 ग्राम हमीरी खुर्द।


उपस्थिति:-

1. श्री विनोद कुमार गिल, एडवोकेट --- निगरानीकार की ओर से ।
2. श्री संदीप काजला, एडवोकेट ----- गैर निगरानीकार सं. 1 की ओर से।

-निर्णय-

दिनांक 31.7.24

पत्रावली पेश हुई। अधिवक्ता उभयपक्ष उपस्थित। निगरानी के संक्षेप में तथ्य इस प्रकार हैं कि - "निगरानीकार का कथन है कि वह ग्राम हमीरी खुर्द का रहने वाला व्यक्ति है जो अपने पूर्वजों के समय से ही आबादी भूमि खसरा नंबर 91 में आबाद है जिसके आगे पुख्ता सड़क बनी हुई है, जिसके खसरा नंबर 89 हैं। सड़क व आबादी भूमि खसरा नंबर 91 में आबाद निगरानीकार के घर के आगे खसरा नंबर 90/286 आम चौक स्थित है। उक्त आम चौक का उपयोग-उपभोग निगरानीकार व ग्रामवासीयान शादी समारोह, त्यौहारों के उत्सव के रूप में काम में लेते हैं तथा उक्त आम चौक में निगरानीकार व अन्य व्यक्तियों के रास्ते भी हैं। खसरा नंबर 90/286 में सार्वजनिक पानी की टंकी, दो खेल, सामुदायिक विकास भवन व पुराना पटवार घर बना हुआ है। शेष भूमि खाली पड़ी है जिसका उपयोग-उपभोग रास्ते के रूप में व उपरोक्तानुसार निगरानीकार व ग्रामवासीयान करते हैं। उक्त भूमि में गैर निगरानीकार नंबर 2 व 3 ने गैर निगरानीकार नंबर 1 के पक्ष में राजस्थान पंचायती राजनियम 1996 के नियम 157 के तहत पट्टा जारी कर दिया। जबकि नियम 157 के तहत पुराने गृहों का विनियमितीकरण होता है, जबकि मौके पर कोई पुराना घर व निवास नहीं है। नियम 157 (1) के तहत गैर निगरानीकार नंबर 1 के पक्ष में

  
 अतिरिक्त जिला कलक्टर  
 झुंझुनू

पट्टा जारी नहीं किया जा सकता। गैर निगरानीकार नंबर 1 के पास गांव की आबादी में दो मंजिला मकान है। नियम 157 के तहत पट्टा अवैध व गलत जारी किया है। नियम 158 के तहत भी गैर निगरानीकार नंबर 1 ना तो भूमिहीन है और ना ही नियम 158 के तहत पट्टा प्राप्त करने के लिये अधिकृत है। गैर निगरानीकार नंबर 2 व 3 ने अवैध रूप से राजस्थान पंचायती राज नियम 1996 के नियमों का उल्लंघन करते हुये पट्टा जारी किया है, जो काबिले निरस्त है। मौके पर जिस भूमि का पट्टा जारी किया है वो भूमि खाली पड़ी है गैर निगरानीकार नंबर 1 का पिता झुंझुनू जिले का सोना चांदी की ज्वैलरी का बड़ा व्यापारी है तथा गैर निगरानीकार नंबर 1 स्वयं भी सुलताना कस्बे में सोना चांदी के ज्वैलरी की दुकान चलाता है, जो पट्टा प्राप्त करने के लिये पात्र व्यक्ति नहीं है। उक्त पट्टा साज करके तैयार किया गया है तथा नियम 157 व 158 का उल्लंघन करते हुये दिया गया है जो काबिले खारिज है.आदि। अंत में निगरानी पेश कर निवेदन किया गया कि निगरानी स्वीकार की जाकर पट्टा संख्या 95 बहक अभिषेक जानू निरस्त किये जाने का आदेश फरमाया जावे।

निगरानी पेश होने पर दर्ज रजिस्टर की जाकर रेस्पोंडेन्ट को तारीख पेशी की सूचना नकल निगरानी के साथ भेजकर दी गई। मिसल मातहत तलब की गई। मिसल मातहत प्राप्त होने पर बहस उभय पक्ष सुनी गई।

दौराने बहस वकील निगरानीकार ने निगरानी मीमो में अंकित तथ्यों को दौहराते हुए कथन किया कि —“ वह ग्राम हमीरी खुर्द का रहने वाला व्यक्ति है जो अपने पूर्वजों के समय से ही आबादी भूमि खसरा नंबर 91 में आबाद है जिसके आगे पुख्ता सड़क बनी हुई है, जिसके खसरा नंबर 89 हैं। सडक व आबादी भूमि खसरा नंबर 91 में आबाद निगरानीकार के घर के आगे खसरा नंबर 90/286 आम चौक स्थित है। उक्त आम चौक का उपयोग—उपभोग निगरानीकार व ग्रामवासीयान शादी समारोह, त्यौहारों के उत्सव के रूप में काम में लेते हैं तथा उक्त आम चौक में निगरानीकार व अन्य व्यक्तियों के रास्ते भी हैं। खसरा नंबर 90/286 में सार्वजनिक पानी की टंकी, दो खेल, सामुदायिक विकास भवन व पुराना पटवार घर बना हुआ है। शेष भूमि खाली पड़ी है जिसका उपयोग—उपभोग रास्ते के रूप में व उपरोक्तानुसार निगरानीकार व ग्रामवासीयान करते हैं। उक्त भूमि में गैर निगरानीकार नंबर 2 व 3 ने गैर निगरानीकार नंबर 1 के पक्ष में राजस्थान पंचायती राजनियम 1996 के नियम 157 के तहत पट्टा जारी कर दिया। जबकि नियम 157 के तहत पुराने गृहों का विनियमितीकरण होता है, जबकि मौके पर कोई पुराना घर व निवास नहीं है। नियम 157 (1) के तहत गैर निगरानीकार नंबर 1 के पक्ष में पट्टा जारी नहीं किया जा सकता। गैर निगरानीकार नंबर 1 के पास गांव की आबादी में दो मंजिला मकान है। नियम 157 के तहत पट्टा अवैध व गलत जारी किया है। नियम 158 के तहत भी गैर निगरानीकार नंबर 1 ना तो भूमिहीन है और ना ही नियम 158 के तहत पट्टा प्राप्त करने के लिये अधिकृत है। गैर निगरानीकार नंबर 2 व 3 ने अवैध रूप से राजस्थान पंचायती राज नियम 1996 के नियमों का उल्लंघन करते हुये पट्टा जारी किया है, जो काबिले निरस्त है। मौके पर जिस भूमि का पट्टा जारी किया है वो भूमि खाली पड़ी है गैर निगरानीकार नंबर 1 का पिता झुंझुनू जिले का सोना चांदी की ज्वैलरी का बड़ा व्यापारी है तथा गैर

AdL  
अतिरिक्त जिला कलक्टर  
झुंझुनू

निगरानीकार नंबर 1 स्वयं भी सुलताना कस्बे में सोना चांदी के ज्वैलरी की दुकान चलाता है, जो पट्टा प्राप्त करने के लिये पात्र व्यक्ति नहीं है। उक्त पट्टा साज करके तैयार किया गया है तथा नियम 157 व 158 का उल्लंघन करते हुये दिया गया है जो काबिले खारिज है..आदि। अंत में निगरानी पेश कर निवेदन किया गया कि निगरानी स्वीकार की जाकर पट्टा संख्या 95 बहक अभिषेक जानू निरस्त किये जाने का आदेश फरमाया जावे।

विद्वान अधिवक्ता गैर निगरानीकार संख्या 1 का कथन है कि गैर निगरानीकार के पुराने कब्जे के आधार पर ग्राम पंचायत हमीरी कलां द्वारा प्रशासन गांव के संग अभियान 2023 में राजस्थान पंचायती राज नियम 157 के अंतर्गत विधिक प्रक्रिया के तहत पट्टा संख्या 95 दिनांक 05.6.2023 को ग्राम पंचायत हमीरीकलां द्वारा सर्वसमिति से प्रस्ताव पारित किया जाकर नियमानुसार शुल्क जमा करवाकर जारी किया गया है जिसमें कोई विधिक त्रुटि नहीं है। अतः निगरानीकार द्वारा प्रस्तुत निगरानी सारहीन होने से खारिज की जावे।

मैंने पत्रावली का अवलोकन किया एवं विद्वान अभिभाषकगण की बहस पर मनन किया। ग्राम पंचायत हमीरी कलां की पट्टा संख्या 95 की पत्रावली का अवलोकन किया गया। पट्टा संख्या-95 दिनांक 05.6.2023 को ग्राम पंचायत हमीरीकलां द्वारा राजस्थान पंचायती राज अधिनियम 1996 के नियम 157 (1) के अन्तर्गत जारी किया गया है। राजस्थान पंचायती राज अधिनियम 1996 के नियम 157 के अन्तर्गत पुराने गृहों के विनियमितकरण जहां व्यक्तियों के कब्जे में आबादी भूमि में पुराने गृह हों और वे पंचायत से कोई पट्टा जारी करवाना चाहते हों, वहां वे 50 वर्ष से अधिक पूर्व से निर्मित मकानों हेतु 100 रुपये तथा इन नियमों के लागू होने की तिथि के 50 वर्षों के दौरान बने पुराने मकानों हेतु 200 रुपये जमा करवाने के पश्चात् पंचायत द्वारा प्रारूप 23 "क" में पट्टा जारी करने के प्रावधान हैं।

हस्तगत प्रकरण में ग्राम पंचायत की पट्टा पत्रावली के अवलोकन से स्पष्ट है कि समस्त कार्यवाही प्रिंटेड प्रपत्रों को एक ही व्यक्ति द्वारा खाली स्थानों की पूर्ति कर पट्टा जारी किया गया है। यहां तक कि प्रार्थी द्वारा पट्टा प्राप्त करने हेतु जो आवेदन पत्र प्रस्तुत किया गया है, वह भी प्रार्थी द्वारा तैयार नहीं किया जाकर जिस व्यक्ति सरपंच/ग्राम विकास अधिकारी ने पट्टा पत्रावली में आदेशिकाएं लिखी हैं, उन्हीं की हस्तलिपि में समस्त कार्यवाही एक साथ तैयार की जाकर पट्टा जारी किया जाना प्रतीत होता है। पट्टा प्राप्त करने हेतु जो आवेदन पत्र प्रस्तुत किया गया है, उसमें प्रार्थी ने कहीं अंकित नहीं किया है कि विवादित भूमि पर उसके मकान कब से बने हुये है और कब से उसका कब्जा है। प्रार्थी के सिर्फ हस्ताक्षर हैं। मौका कमिश्नर रिपोर्ट एवं नजरी नक्शा में प्रार्थी अभिषेक जानू का मकान लगभग 15 वर्ष पूर्व निर्मित होना बताया गया है। इस प्रपत्र को भी सरपंच/ग्राम विकास अधिकारी द्वारा स्वयं पहले से भरकर सिर्फ पंचगण के हस्ताक्षर करवाये गये हैं। मौका कमिश्नर में नियुक्त पंचगण को अपनी टिप्पणी करने के लिए प्रपत्र भरकर दिया गया है जिसमें कोई खाली स्थान टिप्पणी के लिए रखा ही नहीं गया है। यहां तक कि पट्टा पत्रावली की आदेशिकाएं भी पहले से ही प्रिंटेड हैं केवल तारीख भरी गई हैं, समस्त कार्यवाही प्रिंटेड प्रपत्र को भरकर एक


AdL  
अतिरिक्त निम्न कलमकार  
शु-23

ही व्यक्ति की हस्तलिपि में तैयार की गई है। ग्राम पंचायत हमीरी कलां के कार्यवाही रजिस्टर के अवलोकन से भी यह स्पष्ट नहीं होता है कि विवादित भूमि पर जिन 6 व्यक्तियों को एक ही प्रस्ताव के द्वारा एक साथ पट्टे जारी किये गये हैं, उनके मौके पर कितने मकान बने हुये हैं और वह कब से काबिज है। हस्तगत प्रकरण में ग्राम पंचायत के निर्णय के प्रपत्र में अभिषेक जानू की उम्र 27 वर्ष अंकित है। यानि कि ग्राम पंचायत की उक्त पट्टा पत्रावली के अनुसार अभिषेक जानू 12 वर्ष की उम्र में ही विवादित स्थल पर मकान बनाकर आबाद था और उसके मकान का ग्राम पंचायत द्वारा 15 वर्ष पुराने कब्जे के आधार पर पट्टा संख्या 95 के द्वारा विनियमितीकरण किया गया है, जो तथ्य अपने आप में ही संदेहास्पद है।

हस्तगत प्रकरण में ग्रामवासियों द्वारा जिला कलक्टर को आम चौक पर अतिक्रमण रूकवाने के संबंध में शिकायत करने पर प्रकरण की उपखण्ड अधिकारी, मलसीसर से जांच करवायी गई। उपखण्ड अधिकारी, मलसीसर की जांच रिपोर्ट के अनुसार उक्त विवादित भूमि खसरा नंबर 91, 90/286 जिसमें श्रीमती मोनिका रेवाड़, अभिषेक जानू, विपुल सिंह जानू, सरिता जानू, दिव्या एवं मदनलाल जानू हमीरीखुर्द को पट्टे जारी किये गये हैं वह ग्राम पंचायत हमीरीकलां की आबादी भूमि है जिस पर वर्तमान में किसी प्रकार का स्थाई कब्जा/अतिक्रमण नहीं पाया गया। इस प्रकार ग्राम पंचायत हमीरीकलां द्वारा जारी उक्त पट्टों के संबंध में, रिकार्ड के अवलोकन एवं उपखण्ड अधिकारी मलसीसर की मौका जांच रिपोर्ट से यह तथ्य स्पष्ट है कि ग्राम पंचायत हमीरी कलां द्वारा उक्त व्यक्तियों को छपे-छपाये खाली प्रपत्र भरकर ग्राम पंचायत की खाली आबादी भूमि में से राजस्थान पंचायती राज अधिनियम के प्रावधानों को दरकिनार कर एक साथ एक ही परिवार के उक्त व्यक्तियों को पट्टे जारी किये गये हैं। ऐसी स्थिति में प्रकरण के तथ्यों एवं परिस्थितियों को देखते हुये निगरानीकार द्वारा प्रस्तुत यह निगरानी स्वीकार किया जाना न्यायोचित प्रतीत होता है।

अतः उपरोक्त विवेचन के आधार पर निगरानीकार द्वारा प्रस्तुत यह निगरानी स्वीकार की जाकर ग्राम पंचायत हमीरीकलां के संकल्प संख्या-2 दिनांक 23.5.2023 की पालना में अभिषेक जानू पुत्र शिवकरण जानू निवासी हमीरी खुर्द, तहसील मलसीसर जिला झुंझुनू को जारी पट्टा संख्या 95 दिनांक 05.06.2023 निरस्त किया जाता है। ग्राम पंचायत हमीरीकलां को आदेश प्रति सहित रिकार्ड लौटाया जावे। पत्रावली नम्बर से कम की जाकर फ़ैसल शुमार हो एवं बाद तकमील जाप्ता दाखिल दफ्तर हो।

निर्णय आज दिनांक 31.7.24 को मेरे द्वारा लिखाया जाकर, बाद मेरे हस्ताक्षर एवं इस न्यायालय के मुद्रांकित खुले न्यायालय में सुनाया गया।

  
 (राम रतन सिंह)  
 अतिरिक्त जिला कलक्टर,  
 झुंझुनू